प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने हेतु 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 और लेखापरीक्षा और लेखा नियमावली, 2020 के तहत किए गए राज्य सरकार के विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों को समाहित करता है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण वे हैं, जो वर्ष 2023-24 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये, साथ ही वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आये थे किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके; जहां कहीं आवश्यक हुआ, वहां वर्ष 2023-24 के बाद के प्रकरण भी शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानक, 2017 के अनुरूप की गयी है।